उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-1

संख्याः-123/2015/2981/14-1-2015-23/2015

लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों,उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियाँ (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक

http://shasanadesh.up.nic.in

फ्रीज रहेंगी जब तक की पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धिया इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मॉग नही की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ है।

3. कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-ई-शा-424/10-46-5 दिनांक 20-10-2015 द्वारा दिनांक 15-11-1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर क्षेत्रीय वन अधिकारी से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश के पत्रांक-ई-शा-424/10-46-5 दिनांक 20-10-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में दिनांक 15.11.1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुए निम्नलिखित स्तम्भ-2 में उल्लिखित क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि को ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित उनसे कनिष्ठ अनारक्षित श्रेणी के क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि के समान निर्धारित किये जाने की माननीय राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम जो आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत हुए तथा पदोन्नति की तिथि	क्षेत्रीय वन अधिकारी की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.05.1996 का क्रमांक	इनसे कनिष्ठ अनारक्षित श्रेणी के क्षेत्रीय वन अधिकारी का नाम तथा उनके सहायक वन संरक्षक के पद पदोन्नति की तिथि	क्षेत्रीय वन अधिकारी की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.05.1996 का क्रमांक
1	2	3	4	5
1	श्री विनोद शंकर 17.07.1998	115	श्री वेद प्रकाश जायसवाल 20.03.2006	121

http://shasanadesh.up.nic.in

2	श्री ईश्वर दयाल 17.07.1998	120	श्री वेद प्रकाश जायसवाल 20.03.2006	121
3	श्री अरूण कुमार 17.07.1998	164	श्री उदय वीर सिंह 09.10.2012	170
4	श्री महेश चन्द्र 17.07.1998	166	श्री उदय वीर सिंह 09.10.2012	170
5	श्री विपिन चन्द्र 17.07.2002	208	श्री शार्देन्दु शेखर पान्डे 01.09.2015	209
6	श्री कल्प नाथ गौतम 20.03.2006	210	श्री रविशंकर बाजपेई 01.09.2015	217
7	श्री अशोक कुमार-।। 20.03.2006	211	श्री रविशंकर बाजपेई 01.09.2015	217
8	श्री रमेश कुमार 20.03.2006	214	श्री रविशंकर बाजपेई 01.09.2015	217

5- उपर्युक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि को स्तम्भ-4 में उल्लिखित उनसे कनिष्ठ अनारक्षित श्रेणी के क्षेत्रीय वन अधिकारी से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि से निम्नलिखित शर्तो के अधीन कार्यरत माने जायेगें:-

(1) पदावनत कार्मिक को वित्तीय हानि न हो, इसके लिए उनकी पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में उनको प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनति के उपरान्त निर्धारित उनके मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परलिब्धियों तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जाएगा जिस सीमा तक उनके मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी, जब तक कि उनके आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धिया इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें, परन्तु पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के

http://shasanadesh.up.nic.in

आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और अनारक्षित वर्ग के पद धारकों, जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी, द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धिया अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जाएगी, कि वे संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार, उक्त कार्मिक से वरिष्ठ हैं।

अर्थात पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन बराबर होने तक पदावनत कार्मिक को पदावनत पद के वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी, किन्तु उक्त वेतन वृद्धि की धनराशि उसके वैयक्तिक वेतन में समायोजित होती रहेगी, अर्थात पदावनत कार्मिक की कुल परिलब्धियॉ फ्रीज रहेंगी।

अर्थात पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का वेतन आसन्न वरिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर निर्धारित किया जायेगा तथा पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक एवं आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों का जो अन्तर होगा, वह नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जायेगा। यह वैयक्तिक वेतन प्रतिवर्ष अनुमन्य होने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि में समायोजित होता जायेगा, अर्थात वैयक्तिक वेतन उस सीमा तक कम होता रहेगा, जब तक कि आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन तथा पदावनत कार्मिक का वेतन बराबर न हो जाये।

(2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

संजीव सरन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः-2981(1)/14-1-2015-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0 लखनऊ।

http://shasanadesh.upnic.in

4- समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

6- निदेशक सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

8- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in